मध्यप्रदेश विधान सभा

संक्षिप्त कार्य विवरण (पत्रक भाग-एक)

मंगलवार, दिनांक 8 जुलाई, 2014 (17 आषाढ़, शक सम्वत् 1936)

विधान सभा पूर्वाह्न 10 : 33 बजे समवेत हुई.

अध्यक्ष महोदय (डॉ. सीतासरन शर्मा) पीठासीन हुए.

1. प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से 17 प्रश्नों (प्रश्न संख्या-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 एवं 18) पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गये तथा उनके उत्तर दिये गये। प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रूप में परिवर्तित 85 तारांकित प्रश्नों के उत्तर तथा 80 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे.

(प्रश्नकाल में पूरक प्रश्न की अनुमति नहीं दिये जाने के विरोध में श्री सत्यदेव कटारे, नेता प्रतिपक्ष के नेतृत्व में इंडियन नेशनल कांग्रेस के सदस्यगण द्वारा सदन से बहिर्गमन किया गया.)

2. नियम 267-क के अधीन विषय

अध्यक्ष महोदय द्वारा की गई घोषणानुसार -

(1) श्री यशपाल सिंह सिसोदिया, सदस्य की लेबड़ फोरलेन सड़क पर दुर्घटनायें होने,
(2) श्री आरिफ अकील, सदस्य की भोपाल शहर की सड़कों की मरम्मत न होने,
(3) श्री सुदर्शन गुप्ता (आर्य), सदस्य की इंदौर शहर में पार्किंग के लिए समुचित व्यवस्था न होने,
(4) श्री महेन्द्र सिंह कालूखेड़ा, सदस्य की अशोक नगर के मुंगावली क्षेत्र में बी.पी.एल. कार्ड्स के आवेदन लम्बित होने,
(5) डॉ. गोविन्द सिंह, सदस्य की भिण्ड जिले की लहार तहसील का स्थानांतरण न होने,
(6) श्री रामनिवास रावत, सदस्य की शिवपुरी जिले के पोहरी में चिकित्सकों के पद रिक्त होने,
(7) श्रीमती शीला त्यागी, सदस्य की रीवा जिले के ग्राम गुढ़वा में पेयजल की व्यवस्था न होने,
(8) श्री नीलेश अवस्थी, सदस्य की उमरिया जिले के राजस्व कार्यालय द्वारा प्रकरण न निपटाये जाने,
(9) श्री विष्णु खत्री, सदस्य की भोपाल जिले की सिंगार चोली सड़क पर ओव्हर ब्रिज का निर्माण न होने तथा
(10) श्री जितू पटवारी, सदस्य की इंदौर जिले में टी.आई. के निलम्बन की मांग को लेकर वकीलों द्वारा हड़ताल करने

सम्बन्धी नियम 267-क के अधीन शून्यकाल की सूचनाएं पढ़ी हुई मानी गईं.

3. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री जयंत मलैया, वित्त मंत्री ने मध्यप्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत यथा-अपेक्षित विधान सभा के समक्ष प्रस्तुत विवरण, वर्ष 2014-15 पटल पर रखा.

(2) श्री कैलाश विजयवर्गीय, आवास एवं पर्यावरण मंत्री ने मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का लेखा परीक्षण प्रतिवेदन, 2010-11 पटल पर रखा.

(3) श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया, वाणिज्य, उद्योग और रोजगार मंत्री ने मध्यप्रदेश स्टेट इंडस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड का 45 वां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा, 2010-11 (वर्ष समाप्ति 31 मार्च, 2011 के लिए) पटल पर रखे.

(4) श्री उमाशंकर गुप्ता, उच्च शिक्षा मंत्री ने महर्षि महेश योगी वैदिक विश्वविद्यालय का वार्षिक प्रतिवेदन, 2012-13 पटल पर रखा.

(5) श्री राजेन्द्र शुक्ल, खनिज साधन मंत्री ने दि मध्यप्रदेश स्टेट माइनिंग कार्पोरेशन लिमिटेड, भोपाल का 49 वां वार्षिक प्रतिवेदन, 2011-12 पटल पर रखा.

4. ध्यानाकर्षण

(1) डॉ. गोविन्द सिंह, सदस्य ने भिण्ड जिले में अवैध रेत उत्खननकर्ताओं द्वारा अधिकारियों के साथ मारपीट किये जाने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित किया.

श्री बाबूलाल गौर, गृह मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया.

(2) श्री गिरीश गौतम, सदस्य ने रीवा जिले में मोटर पंपों की क्षमता से अधिक विद्युत बिल दिये जाने की ओर ऊर्जा मंत्री का ध्यान आकर्षित किया.

श्री राजेन्द्र शुक्ल, ऊर्जा मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया.

5. तेरहवीं विधान सभा की विशेषाधिकार समिति के द्वितीय प्रतिवेदन का पटल पर रखा जाना एवं उसके मुद्रण, प्रकाशन एवं परिचालन की सूचना

श्री भगवानदेव ईसरानी, प्रमुख सचिव, विधान सभा ने अध्यक्ष के स्थायी आदेश क्रमांक 53 (6) के प्रावधान अनुसार चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी, सर्वश्री प्रेम नारायण ठाकुर, हरेन्द्रजीत सिंह "बब्बू" एवं यशपाल सिंह सिसोदिया, सदस्यगण विधान सभा द्वारा श्री सिद्धार्थ गुप्ता, एडव्होकेट एवं अध्यक्ष निर्धन, नि:शुल्क कानूनी सहायता समिति, भोपाल तथा समाचार पत्र "राज एक्सप्रेस" भोपाल के संवाददाता के विरूद्ध दी गई विशेषाधिकार भंग की सूचनाओं के संबंध में तेरहवीं विधान सभा की विशेषाधिकार समिति का द्वितीय प्रतिवेदन पटल पर रखा.

तत्समय विधान सभा का सत्र न होने के कारण यह प्रतिवेदन अध्यक्ष के स्थायी आदेश क्रमांक 53 (1) के अधीन दिनांक 13 अगस्त, 2013 को माननीय अध्यक्ष, मध्यप्रदेश विधान सभा को प्रस्तुत किया गया था और मध्यप्रदेश विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम-197 के अधीन उक्त प्रतिवेदन के मुद्रण, प्रकाशन और परिचालन के लिए भी उनसे दिनांक 7 सितंबर, 2013 को अनुमति प्राप्त हुई थी.

6. वर्ष 2014-15 की अनुदानों की मांगों पर मतदान (क्रमश:)

(2) श्री बाबूलाल गौर, गृह मंत्री ने राज्यपाल महोदय की सिफारिश के अनुसार प्रस्ताव किया कि 31 मार्च, 2015 को समाप्त होने वाले वर्ष में राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त लेखानुदान में दी गई धनराशि को सम्मिलित करते हुए राज्यपाल महोदय को–

अनुदान संख्या – 3	पुलिस के लिए चार हजार छ: सौ आठ करोड़, चवालीस लाख, उनहत्तर हजार रुपये,
अनुदान संख्या – 4	गृह विभाग से संबंधित अन्य व्यय के लिए चवालीस करोड़, उनहत्तर लाख, इकहत्तर हजार रुपये, तथा
अनुदान संख्या – 5	जेल के लिए दो सौ उनतीस करोड़, सतहत्तर लाख, तिरानवे हजार रुपये, तक की राशि दी जाय.

उपस्थित सदस्यों के कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत होने के पश्चात्, मांगों और कटौती प्रस्तावों पर एक साथ हुई चर्चा में निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लिया :-

(1) डॉ. गोविन्द सिंह

सभापति महोदया (श्रीमती अर्चना चिटनीस) पीठासीन हुईं.

(2) श्री सुदर्शन गुप्ता (आर्य)
(3) श्री जितू पटवारी
(4) श्री मानवेन्द्र सिंह
(5) श्री रामनिवास रावत
(6) श्री रूस्तम सिंह
(7) कुंवर विक्रम सिंह

(अपराह्न 1.01 से 2.35 बजे तक अन्तराल)

अध्यक्ष महोदय (डॉ. सीतासरन शर्मा) पीठासीन हुए.

(8) श्री मुरलीधर पाटीदार
(9) श्री बहादुर सिंह चौहान
(10) श्री कमलेश्वर पटेल

श्री बाबूलाल गौर, गृह मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए।
मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(3) श्री जयंत मलैया, वित्त मंत्री ने राज्यपाल महोदय की सिफारिश के अनुसार प्रस्ताव किया कि 31 मार्च, 2015 को समाप्त होने वाले वर्ष में राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त लेखानुदान में दी गई धनराशि को सम्मिलित करते हुए राज्यपाल महोदय को–

अनुदान संख्या –6	वित्त के लिए छः हजार सात सौ चवालीस करोड़, उनसठ लाख, बत्तीस हजार रुपये,
अनुदान संख्या – 7	वाणिज्यिक कर के लिए दो हजार पाँच सौ पैंतालीस करोड़, उन्नीस लाख, इकतालीस हजार रुपये,
अनुदान संख्या – 23	जल संसाधन के लिए दो हजार एक सौ बावन करोड़, इकहत्तर लाख, दस हजार रुपये,
अनुदान संख्या – 31	योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी के लिए दो सौ साठ करोड़, नो लाख, तीन हजार रुपये,
अनुदान संख्या – 40	जल संसाधन विभाग से संबंधित व्यय-आयाकट के लिए एक सौ उनतीस करोड़, नवासी लाख, इक्कीस हजार रुपये,
अनुदान संख्या – 45	लघु सिंचाई निर्माण कार्य के लिए छः सौ दो करोड़, पिंचानवे लाख, छब्बीस हजार रुपये,
अनुदान संख्या – 57	जल संसाधन विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएँ के लिए तीन सौ ग्यारह करोड़, छियानवे लाख, छब्बीस हजार रुपये,
अनुदान संख्या – 60	जिला परियोजनाओं से संबंधित व्यय के लिए दो सौ बत्तीस करोड़, आठ लाख, बार्इस हजार रुपये, तथा
अनुदान संख्या – 61	बुन्देलखण्ड पैकेज से संबंधित व्यय के लिए पाँच सौ बारह करोड़, छिहत्तर लाख, अठासी हजार रुपये, तक की राशि दी जाय.

उपस्थित सदस्यों के कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत होने के पश्चात्, मांगों और कटौती प्रस्तावों पर एक साथ हुई चर्चा में निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लिया :-

(1) श्री मुकेश नायक

सभापति महोदय (डॉ. गोविन्द सिंह) पीठासीन हुए.

(2) श्री देवेन्द्र वर्मा
(3) श्री रामनिवास रावत
(4) श्री बहादुर सिंह चौहान
(5) डॉ. रामकिशोर दोगने
(6) श्री राजेन्द्र पाण्डेय
(7) श्री रजनीश हरवंश सिंह
(8) श्री दुर्गालाल विजय

सभापति महोदय (श्री रामनिवास रावत) पीठासीन हुए.

(9) श्री दिनेश राय 'मुनमुन'
(10) श्री रामप्यारे कुलस्ते
(11) श्री फुन्देलाल सिंह मार्को
(12) श्री दिलीप सिंह परिहार
(13) श्री जालम सिंह पटेल
(14) श्री सुखेन्द्र सिंह (बन्ना)

अध्यक्ष महोदय (डॉ. सीतासरन शर्मा) पीठासीन हुए.

(15) श्री राजेश यादव
(16) श्री रामपाल सिंह (ब्यौहारी)
(17) श्रीमती चन्दा सिंह गौर
(18) श्री भारत सिंह कुशवाह
(19) श्री वैल सिंह भूरिया
(20) श्री कमलेश्वर पटेल
(21) श्री कुंवर सिंह टेकाम
(22) श्री हरदीप सिंह डंग
(23) श्री ओमकार सिंह मरकाम

श्री जयंत मलैया, वित्त मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए।
मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपरान्ह 5.45 बजे विधान सभा की कार्यवाही बुधवार, दिनांक 9 जुलाई, 2014 (18 आषाढ़, शक सम्वत् 1936) के पूर्वाह्न 10.30 बजे तक के लिए स्थगित की गई.

भगवानदेव ईसरानी,
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा

भोपाल:
दिनांक: 8 जुलाई, 2014